

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम झारखण्ड विधान सभा
संख्या-01

द्वितीय(बजट) सत्र

शुक्रवार, दिनांक-28 फरवरी, 2020 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.01 बजे अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. अध्यक्ष का प्रारम्भिक वक्तव्य:-

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा वक्तव्य प्रारम्भ किया गया।

(इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यगण, श्री बाबूलाल मराण्डी, स०वि०स० को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता ससम्मान दिये जाने की माँग करते हुए नारेबाजी करने लगे तत्पश्चात् शनैः-शनैः वे सदन की वेल में आकर धरने पर बैठ गये जिसके विरोधस्वरूप सत्तापक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री लोबिन हेम्ब्रम, इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, दिनेश विलियम मराण्डी, रामदास सोरेन एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह भी सदन की वेल में आ गये, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बार-बार आग्रह किये जाने के पश्चात् सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।)

पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र में सभी माननीय सदस्यों का अध्यक्ष महोदय द्वारा हार्दिक अभिनन्दन करते हुए आसन सत्र के संक्षिप्त विषयवस्तु से अवगत कराते हुए संवैधानिक प्रावधानों के तहत वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट की गयी जिसमें सरकार के ऊपर विधानमंडलीय जवाबदेही का वित्तीय सिद्धांत निहित है। इस क्रम में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का कथन "जिसके पास पैसा है, उसी के पास शक्ति है", के संदर्भ को भी उद्धृत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सभी माननीय सदस्यों से इस बजट-सत्र में समय का सदुपयोग करते हुए जन मुद्दों को सदन में उठाये जाने का अनुरोध भी किया। पिछले दिनों प्रोजेक्ट भवन में माननीय सदस्यों के निमित्त आयोजित प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी जिक्र करते हुए यह उम्मीद की गयी कि उसमें विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा रखे गये विचारों को माननीय सदस्य अमल में लायेंगे, ऐसी आसन द्वारा आशा की गयी और अंततः सभी माननीय सदस्यों के उज्ज्वल भविष्य की कामना उन्होंने की।

2. सभापति तालिका की घोषणा:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-10(1) के तहत पंचम झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र के निमित्त निर्मांकित माननीय सदस्यों को सभापति मनोनीत किया गया-

श्री स्टीफन मराण्डी

स०वि०स०

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी

स०वि०स०

(2)

डॉ सरफराज अहमद संवि०स०
श्री सरयू राय संवि०स०
श्रीमती सीता मुर्मू संवि०स० एवं
श्री अनन्त कुमार ओझा संवि०स०।

3. कार्य-मंत्रणा समिति का गठन:-

आसन द्वारा झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-224(1) के तहत पंचम् झारखण्ड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र के निमित्त कार्य-मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया-

श्री रबीन्द्रनाथ महतो	अध्यक्ष	सभापति
श्री हेमन्त सोरेन	मुख्यमंत्री	सदस्य
श्री आलमगीर आलम	संसदीय कार्य मंत्री	सदस्य
श्री सत्यानन्द भोक्ता	मंत्री	सदस्य
श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह	संवि०स०	सदस्य
श्री सुदेश कुमार महतो	संवि०स०	सदस्य
श्री सरयू राय	संवि०स०	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

श्री चम्पाई सोरेन	मंत्री
श्री रामेश्वर उराँव	मंत्री
श्री स्टीफन मराण्डी	संवि०स०
श्री नलिन सोरेन	संवि०स०
श्री लोबिन हेम्ब्रम	संवि०स०
श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा	संवि०स०
श्री प्रदीप यादव	संवि०स०
श्रीमती अपर्णासेन गुप्ता	संवि०स०
श्री विनोद कुमार सिंह	संवि०स०
श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	संवि०स०।

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे तदुपरांत आसन द्वारा संसूचित किया गया कि सदन की कार्यवाही के तुरत बाद उनके कार्यालय कक्ष में उक्त समिति की बैठक होगी जिसमें समिति के सभी माननीय सदस्यों से उपस्थित रहने हेतु अनुरोध किया गया।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री नीलकण्ठ सिंह मुण्डा ने आसन से आग्रह किया कि माननीय सदस्य, श्री बाबूलाल मराण्डी को भी कार्य-मंत्रणा समिति का सदस्य मनोनीत किया जाय। इस क्रम में सभी माननीय सदस्यों के स्थानों पर हेडफोन लगवाये जाने हेतु माननीय सदस्य, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने आसन से अनुरोध किया।)

4. अनौपचारिक कार्य:-

i- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 के खण्ड(2)(क) के अनुसरण में माननीय

कृ० प्र०३०

(3)

राज्यपाल महोदया द्वारा प्रख्यापित निम्न अध्यादेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गयी-

(1) झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 2019
(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-03/2019)

(2) झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019
(झारखण्ड अध्यादेश संख्या-04/2019)

ii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर सभा सचिव द्वारा झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्रों में उद्भूत एवं सभा द्वारा पारित विधेयकों की एक विवरणी सभा पटल पर रखी गयी जिसपर माननीय माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदया ने अपनी अनुमति प्रदान की है और जिसकी सूचना चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षोडश (षान्सून) सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है-

माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमत विधेयक की विवरणी:-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम की संख्या
01	झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018	25.09.2019	15/2019
02	भारतीय मुद्रांक (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2018	14.10.2019	16/2019

माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा अनुमत विधेयकों की विवरणी:-

क्रमांक	अनुमत विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि	अधिनियम की संख्या
01	झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2019	19.09.2019	13/2019
02	झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019	19.09.2019	14/2019
03	झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019	17.10.2019	17/2019

कृ० प्र०३०

(4)

5. वित्तीय-कार्य:-

आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, संसदीय कार्य, श्री आलमगीर आलम द्वारा वित्तीय वर्ष-2019-20 के तृतीय अनुपूरक व्यय-विवरण का उपस्थापन सभा पटल पर किया गया जिसपर कटौती का प्रस्ताव आज दिनांक-28 फरवरी, 2020 को 04.00 बजे अप० तक सभा सचिव को दिये जाने की सूचना आसन द्वारा माननीय सदस्यों को दी गयी।

6. प्रतिवेदन का उपस्थापन:-

आसन से पुकारे जाने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री आलमगीर आलम द्वारा सभा नियम-244(2) के अधीन चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के षोडश (षोडश) सत्र में विभिन्न विषयों पर सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों से सम्बन्धित कृत-कार्रवाई प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी गयी।

7. शोक-प्रकाश:-

विगत सत्र से अब तक के अन्तराल में हमारे बीच से कई राजनेता, साहित्यकार, अभिनेता एवं कलाकार रुखसत हो गये जिनमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, अब्दुल गफुर, राम लखन महतो, पद्मश्री गिरिराज किशोर, अश्विनी कुमार चोपड़ा, पूर्व सांसद एवं बांग्ला फिल्म के अभिनेता, तापस पॉल, पूर्व सांसद, कृष्णा बोस, हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार, खगेन्द्र ठाकुर, भाकपा माले की पहली पीढ़ी के नेता, सुखदेव प्रसाद, समाजसेवी, पी० परमेश्वरन, कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद दो जवानों तथा कश्मीर में हुए हिम-स्खलन में सेना के छः जवानों की हुई मृत्यु तथा अन्य तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति आसन द्वारा श्रद्धा निवेदित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गयी कि उनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान हो तदुपरांत माननीय सदन नेता, मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन, माननीय सदस्य, सर्वश्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, प्रदीप यादव, सुदेश कुमार महतो, माननीय मंत्री, श्री आलमगीर आलम एवं श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय सदस्य, सर्वश्री विनोद कुमार सिंह, कमलेश कुमार सिंह, सरयू राय एवं श्री अमित कुमार यादव द्वारा भी दिवंगत आत्माओं के प्रति शोक-संवेदना व्यक्त की गयी तत्पश्चात् दो मिनट का मौन रखा गया। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक-02.03.2020 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

रौंची,
दिनांक- 28 फरवरी, 2020 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।